कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा (छ.ग.)

(दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

प्रथम तल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, कोरबा (छ.ग.)
ई-मेल: cmmu.korba@gmail.com

क्रमांक/ /श.वि.अ./ स्वरोजगार/ कोरबा, दिनांक /02/2023

// रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना//

शहरी क्षेत्रो में गठित महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने हेतु छ0ग0 शासन की महत्वाकांक्षी योजना मिलेट कैफे का संचालन कार्य नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत गठित एवं पंजीकृत स्वसहायता समूहों के माध्यम से घण्टाघर क्षेत्र में कराया जाना है।

मिलेट कैफे के संचालन हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत कार्यरत एवं पंजीकृत स्वसहायता समूहो (S.H.G.) से दिनांक 20 /02/2023 शाम 05:00 तक ई.ओ.आई.स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । ई.ओ.आई. खोलने की तिथि 20/02/2023 समय शाम 5:00 बजे है । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा ।

टीप– विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.korbamunicipal.in में देखी जा सकती है ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्र0/2542/श.वि.अ./ स्वरोजगार/ कोरबा, दिनांक 09/02/2023

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर,जिला कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
3. दैनिक समाचार पत्र .... को कोरबा संस्करण में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में एक दिन के अंकों की साईज (2 कालम x 8 से.मी.) में प्रकाशन कर तीन प्रति अभिलेख के साथ देयक प्रस्तुत करने हेतु ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ0ग0)

)

Letter_989

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण कोरबा (छ.ग.)

(दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

प्रथम तल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, कोरबा (छ.ग.)
ई-मेलः cmmu.korba@gmail.com

क्रमांक/2543 /श0वि0अ0/स्वरोजगार/ कोरबा, दिनांक 09/02/2023

//रूचि की अभिव्यक्ति//

छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव योजना मिलेट्स कैफे के संचालन घंण्टाघर में करने के लिए स्वसहायता समूह का चयन किया जाना है । उक्त कार्य हेतु महिला स्वसहायता समूहों से दिनांक 20/02/2023 तक ई.ओ.आई.स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा । मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु आवश्यक अर्हताए एवं नियम शर्तेः-

1. मिलेट्स कैफे के संचालन के लिए ई.ओ.आई. के साथ 5,000.00 मात्र का अमानत राशि एफ.डी.आर.के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम से जमा करना होगा
2. आफरदाता को लिफाफा "अ" में अमानत राशि का एफ.डी.आर.लिफाफा "ब" पंजीयन प्रमाण पत्र(नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
3. लिफाफा "अ" एवं "ब" लिफाफा के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा । एवं पोस्टल पता सहित बड़े लिफाफा में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा छ0ग0 को प्रस्तुत करना होगा ।
4. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जावेगी ।

1. सफल आफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा । जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा समय सीमा में अनुबंध नही किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी पृथक से सूचना नही दी जावेगी ।
2. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा छ0ग0 का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
3. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा छ0ग0 के पास सुरक्षित रखेगा ।
4. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नही करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर दी जावेगी एवं दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
5. मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के कामगार नही रखे जावेगें ।
6. अनुबंधित स्वसहायता समूह द्वारा इस कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यो में संलिप्तता होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी ।
7. विभाग की अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित स्वसहायता समूह द्वारा उपलब्धता कराया गया कर्मचारी कार्य सही ढंग से नहीं करता है,उन्माद करता है अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरूद्व है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत चौबीस घंटे के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथक कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित स्वसहायता समूह बाध्य होगी ।
8. *अनुबंधित स्वसहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी से निगम का कोई आर्थिक* क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित स्वसहायता समूह से की जावेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

9. कार्य के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्वसहायता समूह की होगी
10. उपरोक्त कार्य के संचालन संधारण में विद्युत एवं अन्य कार्य संबंधी प्राकृतिक आपदा,चोरी,तोड़फोड़ एवं अन्य किसी प्रकार के नुकसानों का संधारण संबंधित स्वसहायता समूह को स्वयं के व्यय पर करना होगा ।
11. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्वसहायता समूह की होगी ।
12. आवेदक स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के तहत अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
13. आवेदक स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) का रजिस्टर अभिलेख नियमित रूप से संधारित होना चाहिए।
14. आर.एफ.पी. / ई.ओ.आई.खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाले लिफाफा खोला जावेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने उपरांत ही मूल आर.एफ.पी.आवेदन जमा वाला लिफाफा खोला जावेगा । निर्धारित अमानत राशि जमा नही पाये जाने पर मूल आर.एफ.पी आवेदन जमा वाला लिफाफा नही खोला जावेगा तथा संबंधित आवेदनकर्ता का जमा/प्राप्त आर.एफ.पी निरस्त माना जावेगा ।
15. आवेदक स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) का बैंकों मे लेन–देन नियमित रूप से होना चाहिए ।
16. आवेदक स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) का किसी भी प्रकार का वित्तीय घाटा नही होना चाहिए ।
17. आवेदक स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष तक रहेगा ,कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्यकाल 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा ।
18. आवेदक स्वसहायता समूह को पंचसूत्र के सिद्वांत का पालन करते पाया जाना चाहिए ।
19. आवेदक स्वसहायता समूह न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व गठित एवं पंजीकृत होना चाहिए ।
20. इस कार्य से संबंधित अनुभव रखने वाले स्वसहायता समूह (एस.एच.जी.) को वरीयता दी जावेगी
21. ई.ओ.आई.की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा के सुरक्षित होगा ।
22. ई.ओ.आई. के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
23. आवेदन स्पीड/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 20 /02/2023 शाम 5:00 बजे तक कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा के पते में जमा करना अनिवार्य है । अन्य विधि से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होगा ।

31 विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.korbamunicipal.in मे देखी जा सकती है ।

Khil

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner